



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II)

PART II—Section 3—Sub-section (II)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1042]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 9, 2014/वैशाख 19, 1936

No. 1042]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 9, 2014/VAISAKHA 19, 1936

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 9 मई, 2014

का.आ. 1258(अ).—प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 14 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा 9 मई, 2014 को ऐसी तिथि के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जिससे उक्त अधिनियम की धारा 14 की उप-धारा (3) के प्रावधान श्री चित्रा तिरुनाल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तिरुवनंतपुरम पर भारत के भू-भाग के भीतर सांविधिक निकाय होने के कारण लागू होंगे तथा दिनांक 2 मई, 1986 की संख्या सा.का.नि. 730(अ) द्वारा प्रकाशित कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) में, भारत सरकार की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, नामतः—

क्रम संख्या 206 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को शामिल किया जाएगा, नामतः—

क्रम सं. निगम/समिति/अन्य प्राधिकारी का नाम स्थिति

| 1. | 2. | 3. |
|-------|---|--|
| "207. | श्री चित्रा तिरुनाल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तिरुवनंतपुरम | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत सांविधिक निकाय। |

[फा. सं. पी-13030/1/2012-एटी]

अर्चना वर्मा, संयुक्त सचिव

टिप्पणी.—मुख्य अधिसूचना को दिनांक 2 मई, 1986 की संख्या सा.का.नि. 730(अ) द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित

किया गया था तथा तदन्तर निम्नलिखित संख्याओं द्वारा संशोधन किया गया:—

सा.का.नि. 1172 (अ), दिनांक 31 अक्टूबर, 1986

सा.का.नि. 84 (अ), दिनांक 6 फरवरी, 1987

- सा.का.नि. 409 (अ), दिनांक 20 अप्रैल, 1987
सा.का.नि. 542 (अ), दिनांक 11 जुलाई, 1995
सा.का.नि. 748 (अ), दिनांक 17 दिसम्बर, 1998
सा.का.नि. 8 (अ), दिनांक 4 जनवरी, 2002
सा.का.नि. 499 (अ), दिनांक 23 अगस्त, 2006
का.आ. 1228 (अ), दिनांक 25 जुलाई, 2007
का.आ. 1823 (अ), दिनांक 25 अक्टूबर, 2007
का.आ. 908 (अ), दिनांक 22 अप्रैल, 2008
का.आ. 2580 (अ), दिनांक 31 अक्टूबर, 2008
का.आ. 2824 (अ), दिनांक 1 दिसम्बर, 2008
का.आ. 727 (अ), दिनांक 31 मार्च, 2010
का.आ. 2411 (अ), दिनांक 4 अक्टूबर, 2010
का.आ. 958 (अ), दिनांक 12 अप्रैल, 2013
का.आ. 2617 (अ), दिनांक 27 अगस्त, 2013

अर्चना बर्मा, संयुक्त सचिव